

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

आदेश क्रमांक - शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/वाणि-इति/31853/2021-22
दिनांक-01.03.2021 द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश में क्रम संख्या 127 पर नैना राम चौधरी व्याख्याता, इतिहास, शहीद निम्बाराम डूडी राउमावि सांवला कला-जोधपुर का सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया गया है, के विरुद्ध शिविरा-माध्य/वि.जांच/ 11199/ एन-12/2021/46-48 दिनांक-26.07.21 द्वारा आरोप पत्र (ज्ञापन) जारी होने के कारण उक्त आदेश दिनांक 01.03.2021 के विरुद्ध आदेश से शर्तें 01 से 03 प्रत्याहरित किया जाता है। उक्त विभागीय जांच प्रकरण दिनांक-26.07.21 के निस्तारण के उपरान्त ही इनके पक्ष में सेवा सन्तोषप्रद होने का प्रमाण पत्र पृथक से जारी किया जावेगा।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
मायमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2021-22

दिनांक- 28/7/21

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
- 4 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याता से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अतिरिक्त अदेय प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।
- 7 सम्बन्धित व्याख्याता
- 8 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
मायमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर